आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री सी.एम.गर्ग, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 73/इंदौर/2022
निर्धारण वर्ष : 2013-14

श्री राजेश जैन, भोपाल	बनाम	आयकर अधिकारी 2(1), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एडीबीपीजे 3661 एल		

अपीलार्थी की ओर से	लिखित प्रतिवेदन
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	16.11.2022
उद्घोषणा तिथि	16.11.2022

आदेश

श्री सी.एम.गर्ग, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2013-14 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10.03.2022 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि आयकर अधिकारी-2(1), भोपाल द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(सी) के अधीन विरचित आदेश दिनांक 29.07.2016 से उद्भूत है ।

2. इस अपील के संबंध में, निर्धारिती के द्वारा आवेदन दिनांक 15.11.2022 दाखिल किया गया हैं जिसमें यह निवेदन किया गया है कि निर्धारिती द्वारा धारा 143(3) के अधीन आदेश के विरूद्ध आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की गई थी जिसे समकक्ष न्यायपीठ द्वारा आदेश दिनांक 03.06.2020 के द्वारा निर्धारिती के पक्ष में निर्णयित किया गया था । धारा

143(3) के अधीन निर्धारण आदेश के आधार पर धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्ति कार्यवाही भी आरंभ की गई थी । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)(एनएफएसी) ने आदेश दिनांक 10.03.2022 में आयकर अपीलीय अधिकरण के आदेश पर विचार नहीं करके निर्धारण अधिकारी द्वारा आरंभ शास्ति कार्यवाही को कायम रखा था । निर्धारिती ने अधिकारिता आयकर आयुक्त (अपील) को rectification दाखिल करने का प्रयास किया था परंतु इसे अस्वीकृत किया गया था । अतः निर्धारिती द्वारा वर्तमान अपील दाखिल की गई । यद्यपि, बाद में अधिकारिता निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को विद्वान आयकर आयुक्त -अपील के आदेश के rectification हेतु पत्र दाखिल करने को कहा गया था । निर्धारिती द्वारा उक्त पत्र दाखिल किया गया तथा माननीय आयकर अपीलीय अधिकरण के आदेश को ध्यान में रखते हुए धारा 254/271(1)(सी) के अधीन 16.09.2022 को Rectification आदेश पारित किया गया हैं । इन तथ्यों एवं परिस्थितियों की दृष्टि में वर्तमान अपील की कोई प्रासंगिकता नहीं है । अतः निर्धारिती द्वारा वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 16.11.2022 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)	(सी.एम.गर्ग)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 16.11.2022

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल